न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 63/2016 G.C.M.S. No. 2016/00428 दर्ज दिनांक : 02.09.2016

अपीलार्थिगण:

मृतक पुनाराम पुत्र श्री खुमाजी, जाति माली, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.) के कायम मुकाम–

1. श्रीमती हुली बाई बेवा पुनारामजी, उम्र बालिग
2. श्रीमती बदामी बेन पुत्री पुनारामजी, उम्र बालिग
3. श्रीमती सीताबेन पुत्री पुनारामजी, उम्र बालिग
4. रमेशकुमार पुत्र पुनारामजी, उम्र बालिग
5. अशोककुमार पुत्र पुनारामजी, उम्र बालिग
6. श्रीमती शोभा बेन पुत्री पुनारामजी, उम्र बालिग

तमाम जातिगण माली, निवासीगण सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृतक रूपा पुत्र श्री खुमाजी, जाति माली, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.) के कायम मुकाम
   - 1/1. मृतक श्रीमती पोनकी बेवा रूपाजी के कायम मुकाम विलोपित
   - 1/2. जसाराम पुत्र रूपाजी, उम्र बालिग
   - 1/3. कन्हैयालाल उर्फ भुराराम पुत्र रूपाजी, उम्र बालिग
   - 1/4. मृतक भंवरलाल पुत्र रूपाजी के कायम मुकाम
     - 1/4/1. मनीष (फौत) अविवाहित (माता मोकी)
     - 1/4/2. दीपाराम पुत्र भंवरलाल
     - 1/4/3. गोमाराम पुत्र भंवरलाल
     - 1/4/4 सविता पुत्री भंवरलाल
     - 1/4/5. इन्द्रा पुत्री भंवरलाल
     - 1/4/6. ममता पुत्री भंवरलाल
   - 1/5. मदनलाल पुत्र रूपाजी
   - 1/6. श्रीमती जमनी पुत्री रूपाजी, उम्र बालिग
   - 1/7. श्रीमती चम्पा पुत्री रूपाजी, उम्र बालिग
   - 1/8. श्रीमती सकुडी पुत्री रूपाजी, उम्र बालिग
   - 1/9. श्रीमती गीता पुत्री रूपाजी, उम्र बालिग

   तमाम जातिगण माली, निवासीगण सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली
2. मृतक डुंगा पुत्र श्री खुमाजी के कायम मुकाम–
   - 2/1. मगा पुत्र डुंगा
   - 2/2. मांगीलाल पुत्र डुंगा
   - 2/3. सोहनी बेवा डुंगा
   - 2/4. पुसीया पुत्री डुंगा
   - 2/5. लीला पुत्री डुंगा
   - 2/6. भोपी पुत्री डुंगाजातिगण माली, निवासीगण सादडी, तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

देसूरी, जिला पाली (राज.)

3. मृतक पेमा पुत्र श्री खुमाजी, जाति माली, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.) के कामय मुकाम
   3/1. मोकी बेवा पेमाजी, उम्र बालिग
   3/2. प्रिया पुत्री पेमाजी, उम्र बालिग
   3/3. सुखी पुत्री पेमाजी, उम्र बालिग
   3/4. कैलाश पुत्र पेमाजी, उम्र बालिग
   3/5. भीकाराम पुत्र पेमाजी, उम्र बालिग
   3/6. दिनेश पुत्र पेमाजी, उम्र बालिग
   3/7. मनीष पुत्र पेमाजी, उम्र बालिग फौत (विलोपित), तमाम जातिगण माली, निवासीगण सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)
4. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2008 बअनवान पुनाराम बनाम रूपा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री रामलाल भाटी, श्री शरद परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 25.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2008 बअनवान पुनाराम बनाम रूपा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्टान के पति व पिता स्व. पुनाराम ने रेस्पोंडेन्ट डुंगा व मृतक रूपा व पेमा के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर किया जाने के बाद प्रतिवादीगण (रेस्पोंडेन्टान) को जरिये समान तलब किया गया। रेस्पोंडेन्टान (प्रतिवादीगण) की ओर से वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु नियमति रूप से चल रही थीं। वाद पत्र की सुनवाई के दौरान वादी पुनाराम व प्रतिवादी रूपा व पेमा का स्वर्गवास हो जाने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इनके वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु वादी/वादी के उत्तराधिकारीगण ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये तथा पत्रावली उतराधिकारीगण को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हेतु थीं। इसी दरम्यान अधिनस्थ न्यायालय ने अपील में वर्णित वाद पत्र को न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सादडी केम्प में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सुनवाई हेतु रखी तथा वाद पत्र को एबेट कर खारिज कर दिया। वादी पुनाराम की मृत्यु दिनांक 25–02–2014 को हुई। जिसके वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु आवेदन नियमानुसार अन्दर अवधि प्रस्तुत किया, इसी प्रकार प्रतिवादी रूपा की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु आवेदन समयावधि में किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय ने वारिसान को रेकर्ड पर लिया तथा संशोधित शीर्षक दिनांक 03–08–2009 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रकार प्रतिवादी पेमा का स्वर्गवास दिनांक 09–03–2013 को हुआ। उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु दिनांक 15–05–2013 को न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया। ऐसी सम्पूर्ण पृष्ट भूमि में वादी का वाद किसी भी रूप से एबेट होने योग्य नहीं था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने एबेट मानकर वादी के वाद पत्र को खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने केम्प के दौरान अधिवक्ताओं को सुने बिना तथ्यों की जानकारी किये बिना कानून व नियमों के विपरीत आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्जा रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी के विभाजन बाबत वादपत्र अपीलांट के पिता पुनाराम द्वारा रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी की मृत्यु उपरांत वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु होने के बावजूद विहित अवधि में कायम मुकाम कार्यवाही पेश नहीं करने से जरिये अबेटमेंट आदेश दिनांक 29.06.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प में खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध मृतक वादी के वारिसान अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी दिनांक 12.08.2016 से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत स्थिति है कि वादपत्र अविभाजित सहखातेदारी आराजी का था तथा अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 15.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 जिसकी मृत्यु दिनांक 09.03.2013 को होना अंकित है, के कायम मुकाम बाबत प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 28.04.2014 को वादी की मृत्यु दिनांक 25.02.2014 होने से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर उपलब्ध है। अतः स्पष्ट है कि वादी का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अंदर म्याद प्रस्तुत हुआ है तथा प्रतिवादी का कायम मुकाम प्रार्थना भी दीर्घ विलंब से प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। जबकि ऐसा किया जाना संबंधित अधिवक्ता के लिए कानूनन आज्ञापक है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में लंबे समय तक अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु नियत रही तथा दिनांक 29.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र जरिये अबेटमेंट खारिज कर दिया गया। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो विभाजन का वादपत्र अबेटमेंट में खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। साथ ही वादी द्वारा कायम मुकाम कार्यवाही प्रस्तुत करने में पर्याप्त तत्परता भी बरती गई हैं तथा वादी का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अंदर म्याद प्रस्तुत हुआ एवं प्रतिवादी का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र संबंधित अधिवक्ता द्वारा मृत्यु बाबत सूचना नहीं दिए जाने के बावजूद दीर्घ विलंब से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को प्रकरण कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर निर्णित करने बजाय गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए तथा इस हेतु उदार रूख अपनाया जाना अपेक्षित है। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण व काबिल अपास्त होने से निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मृतक पक्षकारान के कायम मुकामात को रेकर्ड पर लेते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2008 बअनवान पुनाराम बनाम रूपा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 को अपास्त करते हुए उपशमन को अपास्त करते हुए मृतक पक्षकारान के कायम मुकामात को रेकर्ड पर लिया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संशोधित शीर्षक प्राप्त किया जाकर विवाद्यक विरचित किए जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 13 से 20 में विहित विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र में विधिनुसार अंतिम रूप से निर्णय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.06.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली